# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
## पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2021

**बउनवान**

1. राधेश्याम आयु 73 वर्ष पुत्र श्री रामनारायण जाति कायस्थ (माथुर) निवासी प्रताप चौक, बारां जिला बारां (राज.)
2. लीलाधर आयु 57 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जाति मालव (धाकड़) निवासी अटरू रोड़, बारां जिला बारां (राज.) **(अपीलांटगण)**

**बनाम**

1. बजरंगलाल पुत्र पांचूलाल जाति माली निवासी मार्फत रतनलाल मित्तल पुत्र मांगीलाल जाति महाजन हाल निवासी बालाजी नगर, बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां **(रेंस्पोडेंटगण)**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट**
**इन्तकाल कमांक 1218 दिनांक 01.09.2010 ग्राम मण्डोला तहसील बारां**

उपस्थिति :— 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक **(अपीलांटगण )**

**निर्णय दिनांक 25.04.2022**

अपीलांटगण द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि इंतकाल कमांक 1218 दिनांक 01.09.2010 को तहसीलदार बारां द्वारा हल्का पटवारी मण्डोला की रिपोर्ट दिनांक 20.08.2010 एवं आई.एल.आर.की रिपोर्ट दिनांक 01.09.2010 के आधार पर तस्दीक किया गया है, जो आवासीय प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तन भूमि का अमल कॉलम नं. 9 से 13 के अनुसार करने की स्वीकृति दी जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 1218 से श्रीमान् जिला कलेक्टर बारां के आदेशानुसार खसरा नं0 430 रकबा 0.69 है., खसरा नं0 436 रकबा 0.32 है., खसरा नं0 433 रकबा 0.34 है. कुल किता 3 रकबा 1.35 है. भूमि ग्रामीण क्षेत्र भूमि का अकृषि आवासीय उपयोग के लिये संपरिवर्तन किया गया है जबकि वर्तमान में नगर परिषद् बारां के पेराफेरी [illegible] में है इस कारण अपीलांटगण इसका किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग करने से [illegible]त हो रहे हैं इस कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल कमांक 1218 [illegible] 01.09.2010 को निरस्त किया जाकर उक्त आराजी आवासीय प्र[illegible] के नाम दर्ज की[illegible]। अगर अपीलांटगण के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत न[illegible] हो सके तो नगर प[illegible] बारां के पेराफेरी एरिया में आने के कारण नगर परिषद् बारां के नाम आबादी के रूप में दर्ज की जावे जिससे अपीलांटगण उक्त आराजी के उपयोग हेतु नगर परिषद् बारां से पट्टे वगैरा प्राप्त कर सकें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:44:37 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त नही हुआ। हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनी।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अभिभाषक अपीलांटगण को सुना गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम मण्डोला की आराजी खसरा नं0 430 रकबा 0.69 है., खसरा नं0 436 रकबा 0.32 है., खसरा नं0 433 रकबा 0.34 है. कुल किता 3 रकबा 1.35 है. का आवेदकगण/अपीलांटगण के आवेदन के आधार पर जिला कलक्टर, बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(2)(36) राजस्व/10/5390 दिनांक 04.08.2010 से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई थी जिसकी पालना में ग्राम मण्डोला का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 01.09.2010 खोला जाकर तस्दीक किया गया है। वर्तमान में उक्त आराजी नगर परिषद् बारां के पेराफेरी में स्थित होने से ग्राम पंचायत मण्डोला द्वारा किसी भी प्रकार का पट्टा या मालिकाना हक अपीलांटगण को नहीं दिया जा रहा है इस कारण अपीलांटगण उक्त आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम मण्डोला का नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 01.09.2010 निरस्त किया जाकर अपीलांटगण का नाम दर्ज किया जावे या नगर परिषद् बारां का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांटगण पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया। ग्राम मण्डोला का विवादित नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 01.09.2010 आराजीयात खसरा नंबर 430 रकबा 0.69 है., खसरा नं0 436 रकबा 0.32 है., खसरा नं0 433 रकबा 0.34 है. कुल किता 3 रकबा 1.35 है. का जिला कलक्टर, बारां के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ–4(2)(36)राजस्व/10/5390 दिनांक 04.08.2010 से कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण किया गया गया है। जब तक उक्त आदेश निरस्त नहीं हो तब तक इसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता।

अतः अपील अपीलांटगण निरस्त की [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:44:37 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)